



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई 02 वर्ष के कठोर कारावास सहित 03 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास 30 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई 02 वर्ष के कठोर कारावास सहित 03 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास 30 हजार रुपये के जुर्माने के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 926/17 धारा 354ख/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त बब्बू लोध उर्फ प्रेमनारायण पुत्र महेश लोध निवासी कतरावल थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 330/97 धारा 461/411 भादवि के अभियुक्त अविनाश पुत्र भगवानदास निवासी पलरा थाना चिल्ला जनपद बांदा को 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 202/92 धारा 147/323/324/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-शफीक हबीब खां व 2-आलेनबी अलीहुसीन खान को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।